

## प्रेस नोट दि०-०४.०३.२०२६

प्रेस नोट दिनांक ०४.०३.२०२६

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-  
थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के ०३ अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-  
अभियुक्तों को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत एटीएल ग्राउण्ड कटरा रोड के पास से गिरफ्तार किया गया-

दिनांक ०३.०३.२०२६ को थाना कोतवाली देहात के विशाल सिंह सुत स्व० हरिनारायण सिंह नि० ग्रा० भूपियामऊ को आरोपीगणों द्वारा मारपीट कर घायल कर देने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मु०अ०सं० ६०/२०२६ धारा ११५(२), १०९ (१), ११०,३५२,३५१ (२) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराम के नेतृत्व में उ०नि० कैलाश यादव मय हमराह हे० का० दुर्गविजय व का० अनुज यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान थाना कोतवाली देहात के मु०अ०सं० ६०/२०२६ धारा ११५(२), १०९ (१), ११०,३५२,३५१ (२) बीएनएस से संबंधित ०३ अभियुक्तों ०१.धीरेन्द्र सिंह उर्फ पिन्टू पुत्र राजाराम सिंह निवासी ग्राम भूपियामऊ डिहवा थाना को० देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र ३५ वर्ष, ०२. प्रशांत सिंह उर्फ लकी पुत्र कृष्ण प्रताप सिंह उर्फ कृष्ण कुमार सिंह निवासी ग्राम भूपियामऊ डिहवा थाना को देहाद जनपद प्रतापगढ़ उम्र २८ वर्ष, ०३. युवराज सिंह उर्फ मन्नू पुत्र कृष्ण प्रताप सिंह उर्फ कृष्ण कुमार सिंह निवासी ग्राम भूपियामऊ डिहवा थाना को० देहाद जनपद प्रतापगढ़ उम्र २५ वर्ष को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत एटीएल ग्राउण्ड कटरा रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- ०१.धीरेन्द्र सिंह उर्फ पिन्टू पुत्र राजाराम सिंह निवासी ग्राम भूपियामऊ डिहवा थाना को० देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र ३५ वर्ष।
०२. प्रशांत सिंह उर्फ लकी पुत्र कृष्ण प्रताप सिंह उर्फ कृष्ण कुमार सिंह निवासी ग्राम भूपियामऊ डिहवा थाना को देहाद जनपद प्रतापगढ़ उम्र २८ वर्ष ।
०३. युवराज सिंह उर्फ मन्नू पुत्र कृष्ण प्रताप सिंह उर्फ कृष्ण कुमार सिंह निवासी ग्राम भूपियामऊ डिहवा थाना को० देहाद जनपद प्रतापगढ़ उम्र २५ वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ०नि० कैलाश यादव मय हमराह हे० का० दुर्गविजय व का० अनुज यादव थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक ०४.०३.२०२६

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग से संबंधित ०१ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण –

आरोपी ससुरालीजन द्वारा वादी ग्राम पचरास थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ की बहन को अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ित करना तथा दिनांक 03/03/2026 को आरोपी ससुरालीजनों द्वारा वादी की बहन को जान से मार दिया गया। जिसमे वादी की तहरीर के आधार पर पर थाना कोतवाली देहात पर मु०अ०सं० 61/2026 धारा 80 (2),85 बीएनएस व डीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनाराय वैस के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में उ०नि० वरुण कुमार सिंह मय हमराह का० इंग्लेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 61/2026 धारा 80 (2),85 बीएनएस व डीपी एक्ट थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त 1.सुधांशू ओझा पुत्र प्रदीप कुमार ओझा निवासी ग्राम श्रीनाथपुर थाना को० देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 29 वर्ष को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.सुधांशू ओझा पुत्र प्रदीप कुमार ओझा निवासी ग्राम श्रीनाथपुर थाना को० देहात जनपद प्रतापगढ़ उम्र 29 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ०नि० वरुण कुमार सिंह मय हमराह का० इंग्लेश यादव थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

**प्रेस नोट दिनांक 04.03.2026**

**थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।**

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों के कब्जे से को 13 अदद पेटी अवैध शराब (अंग्रेजी एवं देशी)(कुल 276 शीशी एवं 68 पाउच 101.605 लीटर) व 04 अदद अवैध देशी बम के साथ किया गया गिरफ्तार, साथ ही मौके से कब्जे 01 अदद स्कर्पियो बरामद की गई-

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पर जनपद सुल्तानपुर, जनपद जौनपुर, जनपद प्रतापगढ़ में हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, धौखाधड़ी, एनडीपीएस,गुण्डा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, आबकारी अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम जैसे लगभग 30 जघन्य अपराध पंजीकृत है-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री राकेश कुमार चौरसिया के नेतृत्व में,

थाना आसपुर देवसरा के के उ०नि० सचिन पटेल मय हमराह उ०नि० संजय कुमार व का कैलाश यादव व का० नीरज पटेल द्वारा क्षेत्र में शांति व्यवस्था, जुर्म जरायम की रोकथाम एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, थाना क्षेत्रान्तर्गत गौरामाफी चौराहे के पास से 13 अदद पेटी अवैध शराब (अंग्रेजी एवं देशी)(कुल 276 शीशी एवं 68 पाउच 101.605 लीटर) के साथ 02 अभियुक्तों, 01. वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पुत्र स्व० रामसमुझ सिंह नि०ग्रा० उमरपुर थाना करौदीकला जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 45 वर्ष, 2. जयनारायण पुत्र जगदीश नारायण नि०ग्रा० शोधनपुर थाना करौदीकला जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 58 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

उक्त बरामदगी के आधार पर थाना आसपुर देवसरा पर मु०अ०सं० 40/26 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।

### पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि इस झोले में 4 अदद देशी बम है जो अपनी सुरक्षा के लिए मैं लिए हूँ मेरा, गांव के लोग से जमीनी विवाद को लेकर दुश्मनी है जिसमें हत्या हो चुकी है और इसी की बात को लेकर दुश्मनी रहती है अपने दुश्मनों से बचने के लिए ये बम लेकर चलता हूँ ताकि जरूरत पड़ने पर अपने आप का बचाव कर सकूँ। अभियुक्त से गाड़ी में रखी पेटियों के बारे में पूछा गया तो बताया है कि इसमें शराब भरी है जिसे मैं इमलिया करौंदी कला सुल्तानपुर, एवं राजाबाजार जौनपुर से लिया हूँ जिसे मैंने करीब 13 पेट्टी खरीदा हूँ जिसे मैं और मेरा ड्राइवर जिसका नाम जयनारायण पुत्र जगदीश नारायण निवासी ग्राम शोधन पुर सुल्तानपुर है, अपने साथ ले कर जा रहे है ताकि मैं अच्छे पैसों में बेच सकूँ और अच्छा मुनाफा कमा सकूँ यही हम दोनों का काम है और जो मुनाफा होता है उसे हम दोनों आपस में बांट लेते है।

### आपराधिक इतिहास-

अन्तर्जनपदीय वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पुत्र रामसमुझ सिंहनिवासी उम्परपुर, थाना करौंदीकला, जनपद सुल्तानपुर का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 167/1999, धारा 307/504/506 भा0द0वि0, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर।
02. मु0अ0सं0 636/2000, धारा 307 भा0द0वि0, थाना लुम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर।
03. मु0अ0सं0 637/2000, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना लुम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर।
04. मु0अ0सं0 638/2000, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना लुम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर।
05. मु0अ0सं0 13/1999, धारा 307/504/506 भा0द0वि0, थाना करौंदीकला, जनपद सुल्तानपुर।
06. मु0अ0सं0 172/2002, धारा 506 भा0द0वि0 व 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट, थाना करौंदीकला, जनपद सुल्तानपुर।
07. मु0अ0सं0 257/2015, धारा 504/506 भा0द0वि0 व 3/4 गुण्डा एक्ट, थाना करौंदीकला, जनपद सुल्तानपुर।
08. मु0अ0सं0 307/2007, धारा 147/148/149/302 भा0द0वि0 व 3(1) गुण्डा एक्ट, थाना करौंदीकला, जनपद सुल्तानपुर।
09. मु0अ0सं0 386/2012, धारा 504/506 भा0द0वि0, थाना करौंदीकला, जनपद सुल्तानपुर।
10. मु0अ0सं0 461/2012, धारा 3(1) गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, थाना करौंदीकला, जनपद सुल्तानपुर।
11. मु0अ0सं0 44/2017, धारा 419/420 भा0द0वि0 व 60 आबकारी अधिनियम, थाना करौंदीकला, जनपद सुल्तानपुर।
12. मु0अ0सं0 98/2017, धारा 419/420 भा0द0वि0 व 60 आबकारी अधिनियम, थाना करौंदीकला, जनपद सुल्तानपुर।
13. मु0अ0सं0 114/2017, धारा 419/420/467/468/471 भा0द0वि0 व 60/63/72 आबकारी अधिनियम, थाना करौंदीकला, जनपद सुल्तानपुर।
14. मु0अ0सं0 29/2018, धारा 272/419/420/467/468 भा0द0वि0 व 60/62 आबकारी अधिनियम, थाना करौंदीकला, जनपद सुल्तानपुर।
15. मु0अ0सं0 40/2022, धारा 60(1) आबकारी अधिनियम, थाना करौंदीकला, जनपद सुल्तानपुर।
16. मु0अ0सं0 244/2022, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना करौंदीकला, जनपद सुल्तानपुर।
17. मु0अ0सं0 43/2017, धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम, थाना करौंदीकला, जनपद सुल्तानपुर।
18. मु0अ0सं0 45/2017, धारा 60/72 आबकारी अधिनियम, थाना करौंदीकला, जनपद सुल्तानपुर।
19. मु0अ0सं0 537/1993, धारा 147/148/149/323/307/302/504/506 भा0द0वि0, थाना कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर।
20. मु0अ0सं0 791/2006, धारा 332/342/504/506 भा0द0वि0 व 3(1)(x) एससी/एसटी एक्ट, थाना कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर।
21. मु0अ0सं0 28/2003, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर।
22. मु0अ0सं0 229/2004, धारा 302 भा0द0वि0, थाना कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर।
23. मु0अ0सं0 759/2007, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मुंगराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर।
24. मु0अ0सं0 724/2007, धारा 394/395/411 भा0द0वि0, थाना मुंगराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर।
25. मु0अ0सं0 14/2003, धारा 395/397/412 भा0द0वि0, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।
26. मु0अ0सं0 29/2003, धारा 307 भा0द0वि0, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।
27. मु0अ0सं0 31/2003, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।
28. मु0अ0सं0 41/2003, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।

29. मु0अ0सं0 609/2025, धारा 316(2), 318(4), 351(2), 352 बीएनएस, थाना कोतवाली नगर, जनपद सुल्तानपुर ।

30. मु0अ0सं0 0040/2026, धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

13 अदद पेटी अवैध शराब (अंग्रेजी एवं देशी) (कुल 276 शीशी एवं 68 पाउच 101.605 लीटर) व 04 अदद अवैध देशी बम, 01 अदद स्कर्पियो बरामद ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 सचिन पटेल मय हमराह उ0नि0 संजय कुमार व का कैलाश यादव व का0 नीरज पटेल थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ ।